

औद्योगिक विकास विभाग

अनुमान-4

अधिसूचना

11 फरवरी, 2015 ई०

सं० २८२/७७-४-१५-६७एन०/११-उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या १ सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक शेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६ सन् 1976) की धारा 19 की उपधारा (२) के खण्ड (घ) की उपधारा (१) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त समरत अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एतद्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली, 2011 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण)

(प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2015

१-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(१) यह विनियमावली ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2015 कही जायेगी।

(२) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

३-विनियम १ का संशोधन—ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली, 2011 जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में विनियम-१ में उपविनियम (३) विनियमावली, 2011 में दिये गये उपविनियम (३) के स्थान पर रत्नम-१ में दिये गये उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :

रत्नम-१

विद्यमान उपविनियम

१.३—इस विनियमावली का प्रयोजन ऐसी ग्रामीण भूमि को चिन्हित, नियंत्रित, प्रबन्ध एवं विनियमित करना और उसके संबंध में वैकल्पिक उपाय करना है, जिस पर दिनांक ३० जून, 2011 को और उक्त विनियमावली के दिनांक ३० जून, 2011 के पास ग्रामीण आबादी स्थल के रूप में निरन्तर विद्यमान रही हो। इस विनियमावली का विस्तार ऐसी ग्राम सभा भूमि पर भी होगा जो राजस्व विभाग द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखी गयी हो और जिस पर किसी व्यक्ति ने निवास स्थान बनाया हो।

और जिस पर किसी व्यक्ति ने निवास स्थान बनाया हो। ग्राम सभा भूमि के मामले में दिनांक ३० जून, 2011 व्यवच्छेदन दिनांक होगा।

१.३—इस विनियमावली का प्रयोजन ऐसी ग्रामीण भूमि को चिन्हित, नियंत्रित, प्रबन्ध विनियमित करना और उसके संबंध में वैकल्पिक उपाय करना है, जिस पर दिनांक ३० जून, 2011 से ०५ नवम्बर, 2011 तक आबादी विद्यमान रही हो। यदि भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-४ के अधीन भूमि अर्जन के लिये अधिसूचना दिनांक ३० जून, 2011 के बाद जारी की गयी है, तो धारा-४ के अन्तर्गत अधिसूचना के जारी होने का दिनांक इस उद्देश्य के लिये संदर्भ का दिनांक होगा।

इस विनियमावली का विस्तार ऐसी ग्राम सभा भूमि पर भी होगा जो राजस्व विभाग द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखी गयी हो और जिस पर किसी व्यक्ति ने निवास स्थान बनाया हो। ग्राम सभा भूमि के मामले में, संदर्भ का दिनांक ३० जून, 2011 होगा। यदि पुनर्ग्रहण दिनांक ३० जून, 2011 के पश्चात् किया गया है तो धारा-४ की अधिसूचना का दिनांक संदर्भ का दिनांक होगा।

2-विनियम 2 का संशोधन—उक्त विनियमावली जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है में, विनियम-2 में, उपनिविनियम (1) में—

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (इ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड**विनियम संख्या 2.1(इ)-परिभाषायें—**

'ग्रामीण आबादी स्थल' का तात्पर्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से है जो 30 जून, 2011 के आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जा रही हो और इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को ग्रामीण आबादी स्थल के रूप में आवासीय प्रयोजन हेतु निरन्तर उपयोग में लाई जा रही हो या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों जो इस विनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को आवासीय उपयोग में लाई जा रही हो और 30 जून, 2011 तक निरन्तर उपयोग में रही हो। इस विनियमावली का विस्तार ऐसी ग्राम समा भूमि पर भी होगा जो राजस्व विभाग द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखी गयी हो और जिस पर किसी व्यक्ति ने निवास स्थान बनाया हो।

(ख) उपधारा में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ठ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड**विनियम संख्या-2.1 (ठ)—**

'सर्वेक्षण' का तात्पर्य किसी ग्रामीण आबादी के स्थल को चिन्हित करने की प्रक्रिया से है और जिसमें सैटेलाइट से प्राप्त चित्र दारताविक स्थलीय भौतिक निरीक्षण और नक्शा तैयार करना और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अधीन सर्वेक्षण का कार्य, स्थिर या वीडियो फिल्म तैयार किया जाना और ऐसी अन्य वस्तुयें सम्मिलित हैं, जो ग्रामीण आबादी स्थल के चिन्हीकरण के लिये आवश्यक हैं।

3-विनियम 3 का संशोधन—उक्त विनियमावली में, विनियम-3 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान उपविनियम

(1) विनियम संख्या 3.1-ग्रामीण आबादी स्थलों का सर्वेक्षण एवं भूमि रेखांकन—

प्राधिकरण यथाशीघ्र ग्रामीण आबादी स्थलों का नियोजन व सर्वेक्षण करेगा और उनके रेखा मानचित्र के साथ नक्शा तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित को प्रदर्शित किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

'ग्रामीण आबादी स्थल' का तात्पर्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से है जो 30 जून, 2011 के पूर्व से आवासीय प्रयोजन के उपयोग में लायी जा रही हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**विनियम संख्या-2.1 (ठ)—**

'सर्वेक्षण' का तात्पर्य किसी ग्रामीण आबादी के स्थल को चिन्हित करने की प्रक्रिया से है और जिसमें दारताविक स्थलीय भौतिक निरीक्षण और नक्शा तैयार करना और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अधीन सर्वेक्षण का कार्य, स्थिर या वीडियो फिल्म तैयार किया जाना और ऐसी अन्य वस्तुयें सम्मिलित हैं, जो ग्रामीण आबादी स्थल के चिन्हीकरण के लिये आवश्यक हैं।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम

(1) प्राधिकरण यथाशीघ्र ग्रामीण आबादी स्थलों का नियोजन करने और उनके रेखा मानचित्र के साथ योजना तैयार करने की दृष्टि से सर्वेक्षण करेगा जिसमें निम्नलिखित को प्रदर्शित किया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान उपविनियम

(क) आवारी प्रयोजन के लिये विनियमितीकरण हेतु उपलब्ध भूखण्ड और ग्रामीण विकास योजनाओं के अधीन अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित भूखण्ड।

(ख) इस तथ्य को विचार में लाये बिना कि क्या औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किये जाने के पश्चात् भूमि का अर्जन किया गया है अथवा अर्जन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है या इस संबंध में की भूमि किसके कब्जे में है, विशेष अन्युक्ति सहित भूमि का अर्जन नहीं किया गया है, स्थलों की ग्रामवार सम्पूर्ण सूची, नक्शा रिथ्टि और आकार।

(ग) ग्रामीण आवादी स्थलों के भीतर भूखण्डों की अवस्थिति और भूमि का उपयोग।

(घ) आवंटित या आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड एवं राडकों, खुले रथानों, उपवीथिकाओं, गनोरंजन, दुकानों, विद्यालयों और ग्राम विशेष की आवश्यकतानुसार अन्य जनोपयोगी स्थानों का विवरण।

4-विनियम 4 का संशोधन—उक्त विनियमावली में, विनियम-4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान उपविनियम

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उप अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ख) अपर जिलाधिकारी (भू०अ०), गौतमबुद्धनगर सदस्य

(ग) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के प्रतिनिधि सदस्य (ग) जो उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून न हों

(घ) सचिव/प्रशासनिक अधिकारी

(इ) महाप्रबन्धक (वित्त)

(च) महाप्रबन्धक (नियोजन/वारसुकला)

(छ) महाप्रबन्धक/विशेष कार्याधिकारी (परियोजना)

(ज) तहसीलदार, ब्रेटर नोएडा

(झ) प्रबन्धक (विधि)

सदस्य/
सचिव

सदस्य (इ)

सदस्य (च)

सदस्य (छ)

सदस्य (ज)

सदस्य (झ)

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम

(क) आवासी प्रयोजन के लिये विनियमितीकरण हेतु उपलब्ध भूखण्ड और ग्रामीण विकास योजनाओं के अधीन अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित भूखण्ड।

(ख) इस तथ्य को विचार में लाये बिना कि क्या औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किये जाने के पश्चात् भूमि का अर्जन किया गया है अथवा अर्जन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है या इस संबंध में की भूमि किसके कब्जे में है, विशेष अन्युक्ति सहित भूमि का अर्जन नहीं किया गया है, स्थलों की ग्रामवार सम्पूर्ण सूची, नक्शा रिथ्टि और आकार।

(ग) ग्रामीण आवादी स्थलों के भीतर भूखण्डों की अवस्थिति और भूमि का उपयोग।

(घ) आवंटित या आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड एवं सड़कों, खुले रथानों, उपवीथिकाओं, गनोरंजन, दुकानों, विद्यालयों और ग्राम विशेष की आवश्यकतानुसार अन्य जनोपयोगी स्थानों का विवरण।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उप अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ख) अपर जिलाधिकारी (भू०अ०), सदस्य

(ग) संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी सदस्य

सदस्य/ सचिव सदस्य
संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस सदस्य अधीक्षक के प्रतिनिधि

(इ) राचिव/प्रशासनिक अधिकारी/डिप्टी सदस्य/ कलेक्टर/तहसीलदार संयोजक

(च) महाप्रबन्धक (वित्त) सदस्य

(छ) महाप्रबन्धक (नियोजन/वारसुकला) सदस्य

(ज) महाप्रबन्धक/विशेष कार्याधिकारी (परियोजना) सदस्य

(झ) वरिष्ठ प्रबन्धक/वरिष्ठ कार्यपालक/ प्रबन्धक/ सहायक प्रबन्धक (विधि) सदस्य

5-विनियम 5 का संशोधन—उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम के रथान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

विनियम संख्या 5 समिति के कृत्य—विनियम 4 के अधीन गठित समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त ग्रामीण स्थलों का चिन्हीकरण करना।

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड का यह संस्तुति करना कि औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले प्रस्ताव में कौन सा ग्रामीण आबादी स्थल पृथक किया जाना चाहिये।

(ग) यदि पूर्व से अर्जन प्रक्रिया प्रारम्भ है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से प्राधिकरण को यह संस्तुति करना कि कौन-कौन से ग्रामीण आबादी स्थल अर्जन प्रक्रिया से अवमुक्त किया जाना चाहिये।

(घ) विनियम 3 के अन्तर्गत किये गये सर्वेक्षण के दिनांक के उपरान्त ग्रामीण आबादी स्थल के अग्रतर विस्तार को सीमित व नियंत्रित करने हेतु समुचित संस्तुति व सुझाव प्रस्तुत करना जिसमें पेरिफेरल बाउन्ड्री आदि का निर्धारण समिलित हो, परन्तु इस बिन्दु तक ही सीमित न हो।

(ङ) सुनियोजित विकास के हित में ग्रामीण आबादी स्थल के पेरिफेरल बाउन्ड्री के बाहर स्थित आबादी स्थलों को पेरिफेरल बाउन्ड्री के अन्दर पुनः आवंटित करने की संस्तुति देगा।

(च) विवादित आबादी स्थल व इससे संबंधित अन्य प्रकरण, जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किये जाये, कि निस्तारण हेतु संस्तुति करना।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

5—समिति के कृत्य—विनियम 4 के अधीन गठित समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त ग्रामीण स्थलों का चिन्हीकरण करना।

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह संस्तुति करना कि औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले प्रस्ताव में कौन सा ग्रामीण आबादी स्थल पृथक किया जाना चाहिये।

(ग) यदि पूर्व से अर्जन प्रक्रिया प्रारम्भ है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह संस्तुति करना कि कौन सा ग्रामीण आबादी स्थल अर्जन प्रक्रिया से अवमुक्त किया जाना चाहिये।

(घ) जिस भूमि का अर्जन के उपरान्त कब्जा अर्जन करने वाले निकाय को हस्तान्तरित हो गया है और वह विनियमिते किये जाने योग्य है उस ग्रामीण आबादी स्थल के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संस्तुति देना।

(ङ) विनियम 3 के अन्तर्गत किये गये सर्वेक्षण के दिनांक के उपरान्त ग्रामीण आबादी स्थल के अग्रतर विस्तार को सीमित व नियंत्रित करने हेतु समुचित संस्तुति व सुझाव प्रस्तुत करना जिसमें पेरिफेरल बाउन्ड्री आदि का निर्धारण समिलित हो, परन्तु इस सीमा तक ही सीमित न हो।

(च) सुनियोजित विकास के हित में ग्रामीण आबादी स्थल के पेरिफेरल बाउन्ड्री के बाहर स्थित आबादी स्थलों को पेरिफेरल बाउन्ड्री के अन्दर पुनः नियंत्रण करने की संस्तुति देना।

(छ) विवादित आबादी स्थल व अन्य प्रकरण, जो प्राधिकरण द्वारा सन्दर्भित किये जायें, के निस्तारण हेतु संस्तुति देना।

6-विनियम 6 का संशोधन-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

विनियम संख्या 6 मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति—

1—विनियम 4 में गठित समिति ग्रामीण आबादी इत्यादि को अर्जन मुक्त रखने हेतु अपनी संरक्षित मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति को प्रस्तुति करेगी—

(क) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष

(ख) प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों में से सदस्य नाम निर्दिष्ट तीन सदस्य

(ग) जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर या उनके सदस्य द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर जिला अधिकारी

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

विनियम संख्या 6 मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति

1—विनियम 4 में गठित समिति ग्रामीण आबादी इत्यादि को अर्जन मुक्त रखने हेतु अपनी संरक्षित मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति को प्रस्तुति करेगी—

(क) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अध्यक्ष अधिकारी

(ख) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर या उनके सदस्य द्वारा नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट

(ग) पुलिस अधीकारी, गौतमबुद्धनगर या सदस्य उनके द्वारा नामित सहायक पुलिस अधीकारी

2—प्राधिकरण उपविनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपने द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों में से एक को समिति का सचिव नियुक्त करेगा, जो सुसंगत अभिलेखों को रखरखाव करेगा, कार्य सूची तैयार करके समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, कार्यवृत्त तैयार करेगा और समिति द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा।

3—समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी किन्तु गणपूर्ति के लिये उपविनियम (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कम से कम एक सदस्य रहेगा।

4—समिति का कोई कार्य या कार्यवाही समिति के गठन में किसी रिक्त या त्रुटि की विद्यमानता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

5—समिति के विनिश्चय को कार्यवृत्त में सम्यक् रूप से अभिलेखित किया जायेगा और उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि विशिष्ट मामले में अविकसित भूखण्ड का विनियमितीकरण व प्राधिकरण की विकास योजना के हित में प्रतिकूल नहीं है और समिति ने हितबद्ध व्यक्ति की व्यवितरण आधार पर सहमति प्राप्त कर ली है, जिसके लिये समिति सक्षम होगी।

2—प्राधिकरण उपविनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपने द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों में से एक को समिति का सचिव नियुक्त करेगा, जो सुसंगत अभिलेखों को रखरखाव करेगा, कार्य सूची तैयार करके समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, कार्यवृत्त तैयार करेगा और समिति द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा।

3—समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी किन्तु गणपूर्ति के लिये उपविनियम (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कम से कम एक सदस्य रहेगा।

4—समिति का कोई कार्य या कार्यवाही समिति के गठन में किसी रिक्त या त्रुटि की विद्यमानता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

5—समिति के विनिश्चय को कार्यवृत्त में सम्यक् रूप से अभिलेखित किया जायेगा और उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि विशिष्ट मामले में अविकसित भूखण्ड का विनियमितीकरण व प्राधिकरण की विकास योजना के हित में प्रतिकूल नहीं है और समिति ने हितबद्ध व्यक्ति की व्यवितरण आधार पर सहमति प्राप्त कर ली है, जिसके लिये समिति सक्षम होगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

6-समिति के विनिश्चय को प्राधिकरण को प्रेषित किया जायेगा जो इसके पश्चात् प्रथम बैठक में या ऐसे कारणों से जो अभिलेखित किये जायेंगे अनुवर्ती बैठक में उस पर विचार करेगी और प्राधिकरण उसमें उपान्तर कर सकता है जैसा वह उचित समझे या उसे ऐसे कारणों से जो अभिलेखित किये जायेंगे, उपान्तरित कर सकेगा।

7-विनियम 7 का संशोधन-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

विनियम संख्या 7.1—अर्जित भूमि के विनियमितीकरण हेतु आवेदन-पत्र—

कोई व्यक्ति, जिसकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई है और उस भूमि का विनियमितीकरण किया जाना है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उसके आवेदन-पत्र पर इस विनियमावली के अधीन या उसके अनुसार विनियम 4 में गठित समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा और निमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) इस विनियमावली के अधीन आवंटित किये जाने वाले आवासीय स्थल के अधिकतम क्षेत्र के सीमा आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजन के रूप में प्रयोग की जा रही भूमि के बराबर होगी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम सीमा तीन हजार वर्ग मी० प्रति परिवार होगी तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 के बाद प्रस्तुत आवेदन के प्रकरणों में एक हजार वर्ग मी० प्रति परिवार तक होगी।

(3) यदि किसी कृषक एवं उसके परिवार द्वारा आवासी प्रयोजन से भिन्न रूप में भूमि का उपयोग किया जा रहा है तो उसको विनियमित किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी—

‘संबंधित काश्तकार को विनियमितीकरण हेतु अनुमन्य किये क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल की सीमा तक भूमि का विनियमितीकरण वाणिज्यिक प्रयोग के लिये किया जा सकेगा और इस प्रकार की भूमि के संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित भू-उपयोग घृणितैन प्रभार तथा अन्य शुल्क देय होगे’।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

6-समिति के विनिश्चय को प्राधिकरण को प्रेषित किया जायेगा जो इसके पश्चात् प्रथम बैठक में या ऐसे कारणों से जो अभिलेखित किये जायेंगे अनुवर्ती बैठक में उस पर विचार करेगी और प्राधिकरण उसमें उपान्तर कर सकता है जैसा वह उचित समझे या उसे ऐसे कारणों से जो अभिलेखित किये जायेंगे, उपान्तरित कर सकेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम**विनियम संख्या 7.1—**

निकाल दिया गया।

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

(4) भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद्/जिला विद्यालय निरीक्षक आदि से मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय जिन्हें ग्राम में धारा 4 की विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व मान्यता प्राप्त हो चुकी है अथवा जिनके द्वारा 4/17 की विज्ञप्ति से पूर्व मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था तथा अब मान्यता प्राप्त हो चुकी है तथा तत्समय से क्रियाशील हो, की विनियमित की जाने वाली भूमि, विद्यालय को मान्यता प्रदान करने वाली संरथा द्वारा निर्धारित मानक की न्यूनतम सीमा से अधिक न होगी। विद्यालय के परिसर में केवल प्राधिकरण द्वारा शैक्षणिक संस्थान में अनुमत गतिविधियां ही अनुमन्य होंगी। विद्यालय द्वारा उपयोग की जा रही भूमि की अधिकतम सीमा का शिथिलीकरण प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के अनुमोदन के पश्चात् ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा द्वारा किया जा सकेगा।

(5) समिति के विनिश्चय का कार्यवृत्त सम्बन्धीय रूप से अभिलिखित किया जायेगा और उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि विशिष्ट मामले में अविकसित भूखण्ड का विनियमितीकरण व प्राधिकरण की विकास योजना के हित के प्रतिकूल नहीं है और समिति ने हितबद्ध व्यक्ति की व्यक्तिगत आधार पर सहमति प्राप्त कर ली है, जिसके लिये समिति समझम होगी।

(6) समिति के विनिश्चय को प्राधिकरण को प्रेषित किया जायेगा जो इसके पश्चात् प्रथम बैठक में या ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे। अनुवर्ती बैठक में उस पर विचार करेगी और प्राधिकरण उसमें उपन्तर कर सकता है, जैसा वह उचित समझे या उसे ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उपन्तरित कर सकेगा।

(7) अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में जहां तक सम्बन्ध हो, यह समिति, प्रकृति और दायित्वों को ध्यान रखते हुये विनियम 4 के अन्तर्गत गठित समिति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी।

(8) उपरोक्त समिति द्वारा अपनी आख्या निम्नवत् रूप से गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- 1—संबंधित जिला के जिलाधिकारी . अध्यक्ष
- 2—संबंधित जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक . सदस्य
- 3—अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर . सदस्य/ नोएडा संयोजक
- 4—अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति ग्रेटर . सदस्य
- 5—उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर . सदस्य
- 6—महाप्रबन्धक (नियोजन/परियोजना/वित्त), . सदस्य ग्रेटर नोएडा

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

(9) कमेटी की संस्तुति के अनुसार यदि अर्जित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाना अपरिहार्य है तो अतिक्रमण हटाकर भौतिक कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(10) कब्जा प्राप्त भूमि पर आबादी विद्यमान होने, जन आन्दोलन के उत्पन्न होने एवं कानून व्यवस्था के विगड़ने जैसे कारणों से यदि भूमि प्राधिकरण के लिये उपयुक्त नहीं रह जाती है तो कब्जा भूमि का पट्टा प्रलेख प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त काश्तकार के पक्ष में (प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित) प्रारूप पर निष्पादित किया जायेगा। शासनादेश के अनुपालन में पट्टा हेतु सम्पादित किये जाने वाले पट्टा विलेख पर देय स्टाम्प छूटी से पट्टाग्रहीता को छूट होगी तथा प्राधिकरण द्वारा देय/दिया गया अधिग्रहण शुल्क प्राधिकरण के अन्य अधिग्रहण प्रस्तावों में समायोजित किया जायेगा। भू-स्वामी पर एकमुश्त लीज रेट के रूप में केवल 1.00 रुपया भारित किया जायेगा। विकास शुल्क की मद में देय धनराशि से भू-स्वामी को छूट प्राप्त होगी तथा विकास शुल्क की मद में होने वाले अनुमानित व्यय को प्राधिकरण की अन्य योजनाओं पर भारित किया जायेगा।

(11) लीज हेतु भूमि की अधिकतम सीमा आवेदक द्वारा आवासीय व अनुषांगिक उपयोग में लायी जा रही भूमि के बराबर होगी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम सीमा 3000 वर्ग मी० प्रति परिवार होगी तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 के बाद प्रस्तुत आवेदन के प्रकरणों में 1000 वर्ग मी० प्रति परिवार होगी।

8-विनियम 8 का संशोधन—उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

विनियम संख्या 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, प्रक्रिया

(1) समिति का सचिव/संयोजक बैठक हेतु नियत दिनांक से कम से कम सात दिन पूर्व बैठक के दिनांक समय और स्थान को अधिसूचित करेगा। बैठक एक दिन से अधिक दिन तक जारी रह सकती है। अपरिहार्य स्थिति में अप्ल सूचना पर समिति की बैठक बुलायी जा सकेगी।

(2) समिति के विचारार्थ प्रत्येक ग्राम के मामलों की सूची सचिव/संयोजक द्वारा तैयार की जायेगी। समिति प्रत्येक मामले की जांच और छानबीन करेगी और समिति या समिति द्वारा गठित काई उपसमिति स्थल/भूखण्डों की स्थानीय जांच करेगी और संबंधित अभिलेखों में प्रविष्टियों तथा स्थल/भूखण्डों की जांच कर सकती है और स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् समिति भूखण्डों को विनियमित करने पर विचार कर सकती है, जैसा वह ऐसे मामलों में कर सकती है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

विनियम संख्या 8—

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

प्रक्रिया

(1) समिति का संयोजक बैठक हेतु नियत दिनांक से कम से कम सात दिन पूर्व बैठक के दिनांक समय और स्थान को अधिसूचित करेगा। बैठक एक दिन से अधिक अवधि तक जारी रह सकती है। अपरिहार्य स्थिति में अला सूचना पर भी समिति की बैठक आहूत की जा सकेगी।

(2) समिति के विचारार्थ प्रत्येक ग्राम के समर्त प्रकरणों की सूची संयोजक द्वारा तैयार की जायेगी समिति प्रत्येक प्रकरण की जांच और छानबीन करेगी। समिति या समिति द्वारा गठित कोई उपसमिति स्थलों/भूखण्डों की स्थानीय जांच करेगी और संबंधित अभिलेखों में प्रविष्टियों की जांच कर सकती है। स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् समिति भूखण्ड को परिवर्तित करने पर विचार कर सकती है, जैसा कि इस प्रकार किया जा सकता है।

रत्नम्-1

विद्यमान विनियम

(3) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि कोई आवेदक ग्रामीण आवादी स्थल के किसी विशिष्ट भूखण्ड को आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग में ला रहा है और उसने समरत आदेशों यथा प्रतिकर की वापरी या प्रोद्भूत व्याज सहित उसकी अदायगी करने से संबंधित समरत आदेशों का पालन कर लिया है, समिति उसके स्थान पर उक्त स्थल/भूखण्ड का ऐसे निबंधन और शर्तों पर विनियमितीकरण कर सकती है जो इस विनियमावली से असंगत न हो एवं जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित करना उचित समझे।

(4) भूखण्ड/स्थल के विनियमितीकरण के उपरान्त समिति इसकी प्रक्रिया में प्रारूप-1 में विनियमितीकरण के प्रमाण-पत्र के निर्मन और कब्जा के परिदान को प्राधिकृत करेगी और विनियमितीकरण 90 वर्ष के पट्टा विलेख के आधार पर किया जायेगा।

(5) विनियमितीकरण प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा उसकी ओर से नाम-निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 में जारी किया जायेगा।

(6) प्राधिकरण ऐसे विनियमितीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसरण में पट्टा विलेख के निष्पादन का निर्देश दे सकता है जो ऐसे उपान्तरणों, जो विशिष्ट भाष्मले में आवश्यक हो, सहित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रारूप-2 में होगा और जिसमें ऐसी समरत निबंधन एवं शर्ते प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रारूप-2 में होगा और जिसमें ऐसी समरत निबंधन एवं शर्ते प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रारूप में होगा और जिसमें ऐसी समरत निबंधन एवं शर्ते होंगी जिनका अवधारण किया गया है।

रत्नम्-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(3) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि कोई आवेदक ग्रामीण आवादी स्थल के किसी विशिष्ट भूखण्ड को आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग में ला रहा है और उसने समरत आदेशों यथा प्रतिकर की वापरी अथवा प्रोद्भूत व्याज सहित उसकी अदायगी करने की वचनबद्धता आदि का पालन कर लिया है, समिति उसके बदले में स्थल/भूखण्ड का ऐसे नियम और शर्तों पर विनियमितीकरण कर सकती है जो इस विनियमावली से असंगत न हो एवं जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे।

(4) पट्टे के लिये भूमि की अधिकतम सीमा आवेदक द्वारा आवासीय या आकस्मिक उपयोग के रूप में प्रयोग की जा रही भूमि के बराबर होगी जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक के लिये 3000 वर्ग मीटर प्रति परिवार तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 के उपरान्त आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक के लिये पर 1000 वर्गमीटर प्रति परिवार होगी।

(5) यदि किसी कष्टक के उपरान्त परिवार द्वारा आवासीय प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है ऐसी दशा में उसको विनियमित किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी-

“संबंधित काश्तकार को विनियमितीकरण हेतु अनुमन्य किये क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल की सीमा तक भूमि का विनियमितीकरण वाणिज्यिक प्रयोग के लिये किया जा सकेगा और इस प्रकार की भूमि के संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित भूमि के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अन्य शुल्क देय होगे।”

(6) भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा परिषद् यथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद्/जिला विद्यालय, निरीक्षक आदि से मान्यता प्राप्त ऐसे विद्यालय जिन्हें भूमि अर्जन अधिनियम, 1897 की धारा 4/17 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व मान्यता प्राप्त हो चुकी हो अथवा जिनके द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1897 की धारा 4/17 के अधीन विज्ञप्ति से पूर्व मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था तथा जिन्हें अब मान्यता प्राप्त हो चुकी है तथा वह तत्समय से अर्जित भूमि पर क्रियाशील हो, को विनियमित की जाने वाली भूमि, विद्यालय को मान्यता प्रदान करने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक की न्यूनतम सीमा से अधिक न होगी। विद्यालय के परिसर में केवल मान्यता प्रदान करने वाले प्राधिकरण द्वारा शैक्षणिक संस्थान में अनुमत गतिविधियाँ ही अनुमन्य होंगी। विद्यालय द्वारा उपयोग की जा रही भूमि की अधिकतम सीमा का शिथिलीकरण, सम्बन्धित प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक के अनुमोदन के उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा।

रतम्भ-1

विद्यगान विनियम

(7) भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा उठाये गये विवाद या मतभेद की जांच समिति द्वारा की जायेगी और इसका विनिश्चय प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन अन्तिम होगा।

(8) समिति के समक्ष आने वाले समरत मामलों को विनिश्चय, उपरिधि, और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और किसी व्यक्ति को भूमि आवंटन के संबंध में विनिश्चय पर समिति के सदस्यों के मध्य किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में समिति के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा और उसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(9) विनियमितीकरण से पूर्व संबंधित ग्राम की आबादी की पेरीफेरल बाउन्डी/सड़क निश्चित की जायेगी। विनियमितीकरण किये जाने वाले भूखण्डों को प्रबंधन इसी पेरीफेरल बाउन्डी के अन्तर्गत किया जायेगा।

रतम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(7) समिति के विनिश्चय को सम्यक रूप से कार्यवृत्त में अग्रिमियत किया जायेगा और उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि विशिष्ट मामले में अविकसित भूखण्ड का विनियमितीकरण व प्राधिकरण की विकास योजना के हित के प्रतिकूल नहीं है और समिति ने हितवद्ध व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से सहमति प्राप्त कर ली है, जिसके लिये समिति सक्षम होगी।

(8) समिति की संरक्षित की अनुसार यदि अंजित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाना अपरिहार्य हो तो उस दशा में अतिक्रमण हटाकर भौतिक कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(9) कब्जा प्राप्त भूमि के संबंध में जन आन्दोलन आबादी विद्यमान होने, जन आक्रोश एवं विधि और व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने की दशा में, यदि भूमि प्राधिकरण के लिये उपयुक्त नहीं रह जाती है, तो उस दशा में पट्टा विलेख प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त काश्तकार के पक्ष में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप पर निष्पादित किया जायेगा। पट्टा हेतु सम्पादित किये जाने वाले पट्टा विलेख पर देय स्टाप्प ड्यूटी से पट्टाधारी को छूट होनी तथा प्राधिकरण द्वारा देय/दिया गया अधिग्रहण शुल्क प्राधिकरण के अन्य अधिग्रहण संबंधी प्रतावों में समायोजित किया जायेगा। पट्टाधारी से एकमुश्त लीज रेट के रूप में केवल एक रुपया प्रभारित किया जायेगा। विकास शुल्क की मद में देय धनराशि से मूँस्वामी को छूट प्राप्त होनी तथा विकास शुल्क की मद में होने वाले अनुमानित व्यय को प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में समायोजित किया जायेगा।

(10) भूखण्ड/स्थल के विनियमितीकरण की प्रक्रिया में, समिति प्रारूप-1 में विनियमितीकरण प्रमाण-पत्र के निर्गमन और कब्जा के परिदान को प्राधिकृत करेगी। विनियमितीकरण 90 वर्ष के पट्टा विलेख के आधार पर किया जायेगा।

(11) प्राधिकरण की ओर से विनियमितीकरण प्रमाण को नाम-निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 में निर्गत किया जायेगा।

(12) प्राधिकरण ऐसे विनियमितीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसरण में पट्टा विलेख के निष्पादन का निर्देश दे सकता है जो ऐसे उपान्तरणों सहित जो विशिष्ट मामले में आवश्यक हो, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रारूप-2 में होगा और जिसमें निर्धारित किये गये नियमों एवं शर्तों को उल्लेख होगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान विनियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(13) भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा उपरिकृत भूमि को बहुमत द्वारा किया जायेगा और किसी व्यक्ति को भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में विनिश्चय पर समिति के सदस्यों के मध्य भत्तेद की रिस्ते में समिति के अध्यक्ष का निर्णायक भत्त होगा और उसका विनिश्चय और बायकारी होगा।

(14) समिति के समक्ष आने वाले समस्त मामलों का विनिश्चय, उपरिकृत और भत्तादान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और किसी व्यक्ति को भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में विनिश्चय पर समिति के सदस्यों के मध्य भत्तेद की रिस्ते में समिति के अध्यक्ष का निर्णायक भत्त होगा और उसका विनिश्चय और बायकारी होगा।

(15) विनियमितीकरण से पूर्व संबंधित ग्राम की आबादी की पेरीफेरल बाउन्डी/सड़क निश्चित की जायेगी। विनियमितीकरण किये जाने वाले भूखण्डों का प्रबंधन इसी पेरीफेरल बाउन्डी की अन्तसीमा में किया जायेगा।

9—विनियम 9 का संशोधन—उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

स्तम्भ-1
विद्यमान विनियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

विनियम संख्या—9—

अतिरिक्त भूमि का प्रबंध—

विनियमितीकरण के पश्चात्, अतिरिक्त भूमि का प्रयोग 5 प्रतिशत आबादी भूमि आवंटन या वैकल्पिक व्यवस्था में किया जायेगा जैसा कि प्राधिकरण उपयुक्त और उचित समझें।

10—विनियम 11 का संशोधन—उक्त विनियमावली में, विनियम-11 में,

(क) स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1
विद्यमान उपविनियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम

विनियम संख्या—11.2—

प्रतिबन्ध—

यदि स्थल का परित्याग या अन्यर्पण किया जाता है या उत्तराधिकारी होने के हकंदार किसी उत्तराधिकारी को छोड़े बिना लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो भूखण्ड प्राधिकरण को प्रत्यावर्तित हो जायेगा और यह समस्त दावों व भारों से मुक्त प्राधिकरण की सम्पत्ति होगी।

यदि स्थल का परित्याग या अन्यर्पण किया जाता है अथवा उत्तराधिकारी के बिना लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो भूखण्ड प्राधिकरण को प्रत्यावर्तित हो जायेगा और यह समस्त दावों व भारों से मुक्त प्राधिकरण की सम्पत्ति होगी।

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये सुपविनियम (6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया सुपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान सुपविनियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित सुपविनियम

विनियम संख्या—11.6—

संबंधित कृषक की कुल अर्जित भूमि में से इस विनियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत विनियमित भूमि को कम करने के उपरान्त शेष भूमि के सापेक्ष 5/6 प्रतिशत आबादी भूमि आवंटन तथा आवासीय भूखण्ड योजनाओं में आरक्षण आदि की सुविधा अनुमन्य होगी।

संबंधित कृषक की कुल अर्जित भूमि में से इस विनियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत विनियमित भूमि को कम करने के उपरान्त प्राधिकरण में निहित शेष भूमि के सापेक्ष ही प्राधिकरण के आबादी विकास हेतु निर्धारित तत्समय लागू नीति के अनुसार आबादी भूमि आवंटन तथा आवासीय भूखण्ड योजनाओं में आरक्षण आदि का लाग अनुमन्य होगा।

11—विनियम 12 का संशोधन—उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिया गया विनियम सुपविनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया सुपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान सुपविनियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित सुपविनियम

विनियम संख्या—12.2—

प्रतिकर के प्रतिदाय का दायित्व—

इस विनियमावली के अधीन प्रतिकर के प्रतिसंदाय की धनराशि नियत करते समय तोषण और ब्याज सहित भुगतान की गयी प्रतिकर की धनराशि तथा अन्य मदों में प्राप्त धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा।

भू-अर्जन अधिनियम 1897 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिनिर्णय घोषित हो जाने की दशा में प्रतिकर की धनराशि जिसके अन्तर्गत तोषण, ब्याज तथा अन्य किये गये भुगतान भी है, को बापस किया जायेगा।

12—विनियम 16 का संशोधन—उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

विनियम संख्या—16—

उत्तराधिकार, स्वामित्व और अधिकारों द्वारा उत्तराधिकार, स्वामित्व और अधिकारों द्वारा न्यागमन—

उत्तराधिकार, स्वामित्व और अधिकारों द्वारा न्यागमन—

उत्तराधिकार या अन्तरण के आधार पर यथारिति उत्तराधिकारी या अन्तरिती, विनियमित स्थल/भूखण्ड के स्वामित्व और अधिकारों के न्यागमन के संबंध में अपना नाम अभिलेखों में प्रविष्ट कराने तथा विनियमितीकरण प्रमाण-पत्र/पट्टा विलेख सपान्तरित कराने या प्राधिकरण द्वारा उस निमित्त नाम-निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन करके यदि आवश्यक हो तो उसे नये सिरे से निष्पादित कराने का हकदार होगा।

उत्तराधिकार या अन्तरण की दशा में यथारिति उत्तराधिकारी या अन्तरिती, विनियमित स्थल/भूखण्ड के स्वामित्व और अधिकारों के न्यागमन के संबंध में अपना नाम अभिलेखों में प्रविष्ट कराने का अधिकारी होगा तथा उस निमित्त प्राधिकरण द्वारा विनियमितीकरण प्रमाण-पत्र/पट्टा विलेखों का उपान्तरण किया जायेगा।

आज्ञा से,
संजीव सरन,
प्रमुख सचिव।